

प्रेस नोट दिनांक-31.05.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए गए 02 दिवसीय विशेष अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 23 अभियुक्तों को 90 लीटर कच्ची शराब व 303 अदद क्वार्टर दशी शराब कुल 175 लीटर शराब, 05 अदद भट्टी (शराब बनाने के उपकरण) के साथ गिरफ्तार किया गया एवं 150 किलोग्राम लहन बरामद कर नष्ट किया गया।

(i). 30नि0 श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा बेड़ी पुलिया तिराहा के पास से अभियुक्त (1) कमलेश साहू पुत्र गया प्रसाद निवासी खोही सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 30 अदद क्वार्टर देशी शराब तथा (2) अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र रामदीन निवासी बीरा थाना भरतकूप को 27 क्वार्टर देशी शराब के साथ (3) अभियुक्त रघुवीर पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी खोही सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

(ii). 30नि0 श्री अजय कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता पिकी पत्नी घनश्याम पटेल निवासी खुटहा शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). 30नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम भोठीपुरवा से अभियुक्त राजू कोल पुत्र स्वामी कोल निवासी भोठीपुरवा मजरा नीहीं थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण एवं 50 किलो ग्राम लहन के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया। **अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60(2) आबकारी** अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). 30नि0 श्री बलदेव सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम ऊंचाडीह से अभियुक्त रमेश कोल पुत्र नन्हे कोल निवासी नई बस्ती चमरौहा ऊंचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 19 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). 30नि0 श्री बलराम सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम बगदरी से अभियुक्त पूरन यादव पुत्र दयाराम निवासी भोठीपुरवा मजरा नीहीं थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vi). 30नि0 श्री फिरोज खां थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त पप्पू कोल पुत्र सफी कोल निवासी भोठीपुरवा मजरा बगदरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण एवं 50 किलो लहन के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना **मानिकपुर में धारा60 (2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग** पंजीकृत किया गया।

(vii). 30नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम रघुवंशीपुर से अभियुक्त जागेश्वर वर्मा पुत्र गजराज वर्मा निवासी रघुवंशीपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(viii). 30नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा कस्बा पहाड़ी से अभियुक्त रामराज पुत्र रामकिशोर प्रजापति निवासी महाराजपुर भैरमपुरवा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 21 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ix). उ0नि0 श्री प्रभूनाथ सिंह थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा बियोहरा मोड़ के पास से अभियुक्त नन्दकिशोर निषाद पुत्र रामपाल निवासी अरछा बरेठी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 15 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(x). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम बम्बुरी से अभियुक्त श्रीमती प्रीती देवी पत्नी बहोरीलाल निवासी बम्बुरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(xi). उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम चिल्ली से अभियुक्ता मिर्ची देवी पत्नी राजाराम (2) रामसिया पुत्र सुरेश निषाद निवासीगण चिल्लीराकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10-10 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(xii). उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा गिरधार बाबा तिराहा से अभियुक्त ठाकुर प्रसाद पुत्र स्व0 लोटन निवासी बड़ी मडैय्यन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(xiii). वरि0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी थाना मारकुण्डी तथा उनकी टीम द्वारा गोपीपुर तिराहा से अभियुक्त राकेश कुमार यादव पुत्र शिवप्रसाद निवासी गोपीपुर तिराहा थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 60 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(xiv). व0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा कस्बा मानिकपुर से अभियुक्त अर्जुन कोल पुत्र नारायण कोल निवासी जवाहर नगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 17 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(xv). उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा भाटा पुरवा से अभियुक्त छेदीलाल पुत्र दही कोल निवासी भाटा पुरवा मजरा निही थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण व 50 किलो लहन के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया।

(xvi). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा हलदीकला से राकेश कुमार पुत्र रामनरेश कोल निवासी हरदीकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(xvii). उ0नि0 श्री गुलाब चन्द्र सोनकर थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा टिटिहरा मोड़ से अभियुक्त फूल सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी बीहर मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 15 अदद क्वार्टर अवैध देशी मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया।

(xviii). उ0नि0 श्री मो0 नईम थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा गोड़ा मोड़ से अभियुक्त कल्लू राम यादव पुत्र भोला प्रसाद निवासी गोड़ा थाना भरतकूप को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(xix). उ0नि0 श्री दिनेशचन्द्र तिवारी थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त फोटो तिवारी पुत्र बृजगोपाल तिवारी निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 16 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(xx). उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा कुचारम मोड़ वहद ग्राम कुचारम से अभियुक्त बबली यादव पुत्र रामकिशन यादव निवासी बिलखरी का पुरवा मजरा चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(2). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2042 थाना बरगढ़ अंतर्गत दिनांक 30/05/2021 को समय 09:07 बजे इवेंट संख्या 3574 द्वारा घटनास्थल अरवारी मोड़ थाना बरगढ़ से कॉलर रोहिनी प्रसाद द्वारा सूचना दी गयी कि 4 पहिया और बाइक का एक्सीडेंट हो गया है एक लोग घायल है।

कृत कार्यवाही इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि मोटरसाइकिल और बोलेरो गाड़ी में टक्कर हो गई है जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका नाम शिवशंकर कुशवाहा पुत्र जग जाहिर कुशवाहा थाना पनवार जिला रीवा मध्यप्रदेश है। पीआरवी कर्मियों ने तत्काल घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊ में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजनों को भी सूचना दी गई है।

पीआरवी स्टाफ-

1. कमांडर - मुख्य आरक्षी जगदीश प्रसाद
2. सब कमांडर - मुख्य आरक्षी इबाद उल्ला
3. पायलट - संजय कुमार

(3). कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के मार्गदर्शन में दिनांक-31.05.2021 को अग्निशमन टीमों द्वारा 1. रेलवे स्टेशन शिवरामपुर सम्पूर्ण परिसर 2. चौकी शिवरामपुर कार्यालय एवं सम्पूर्ण परिसर 3. कस्बा शिवरामपुर आवसायी बस्ती में सेनेटाइजेशन किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र सोनकर तथा उनकी टीम द्वारा चोरी की घटना का खुलाशा करते हुए अभियुक्त सुरोहित पुत्र जमुना प्रसाद निवासी रामपुर माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को चोरी किये गए 02 अदद मोटर मिक्सिंग मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक-30.05.2021 को वादी श्री शिवचन्द्र त्रिपाठी पुत्र रामखिलावन निवासी इलाहाबाद कर्वी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक-27.05.2021 को डामर प्लांट रामपुर माफी से मिक्सिंग मशीन के 02 अदद मोटर अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 64/2021 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र खुलाशे हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप आवश्यक निर्देश दिये गये। प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र सोनकर तथा उनकी टीम द्वारा चोरी की घटना का खुलाशा करते हुए अभियुक्त सुरोहित उपरोक्त को चोरी की गयी 02 अदद मोटरों को बेचने हेतु जाते समय गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 41/411 भादवि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

02 अदद मोटर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र सोनकर थाना भरतकूप
2. आरक्षी विकास यादव

(5). आज दिनांक 31.05.2021 को पुलिस लाईन्स सभागार में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले उ0नि0 श्री शिवकुमार त्रिपाठी एलआईयू0, मुख्य आरक्षी सन्त कुमार, आरक्षी अतीक अहमद खां एवं मुख्य आरक्षी संतराम यादव ऐच्छिक सेवानिवृत्ति को क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय एवं प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह द्वारा शॉल व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को हल्का नास्ता करवा कर मुंह मीठा करवाया गया। सेवानिवृत्त हुये सभी कर्मचारियों को कहा गया कि घर जाकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें रहें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें।

(6). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 31.05.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम भभेट, एवं मझगवां अन्य स्थानों में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैण्ड, बाजार, बैंक, शिवपुर तिराहा कस्बा मऊ में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।